राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 93/2023

तारीख दायर :– 23.08.2023

अनवान

1. मुकेश कुमार पुत्र हेमाराम जाति मीणा निवासी लुहारीकलां तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा।

प्रार्थी...

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

विपक्षी...

उपस्थित :–

1. श्री सत्यनारायण माली (अधिवक्ता प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 02.11.2023

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बीगोद पटवार हल्का बीगोद की खाता संख्या 310 की आराजी संख्या 1686/1 रकबा 0.3237 हेक्टर कृषि भूमि स्थित होकर दो साखी भूमि है जिस पर प्रार्थी व उसके परिवारजन काबिज होकर काश्त करते चल आ रहे है। प्रार्थी की भूमि मे आने जाने हेतु सज बेल व अन्य कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु एक मात्र रास्ता जो कि गे0मू0 रास्ता ग्राम बीगोद के आराजी संख्या 1686 में से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रार्थी की आराजी संख्या 1681/1 मे पहुँचता है जो करीब 30 फीट चोड़ा रास्ता है उस पर प्रार्थी व उसके परिवार रास्ते हेतु उपयोग में करते चले आ रहे है उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खरीद सुदा कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी से पूर्व खातेदारो द्वारा भी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने से प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है तथा प्रार्थी की कृषि भूमि में पहुँचने हेतु अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता मोजूद नही है इसलिये विपक्षी की आराजी संख्या 1686 की पूर्व से पश्चिमी मेर पर होकर प्रार्थी की आराजी संख्या 1686/1 पर स्थित रास्ते की प्रार्थी को करीब 30 फीट चोड़ा रास्ता दिलाया जाना न्याय संगत है। रास्ते के अभाव में प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि बिगर काश्त ही रहेगी जिसकी पूर्ति अर्थ मे सम्भव नही है प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि ग्राम बीगोद पटवार हल्का बीगोद की खाता संख्या 310 की आराजी संख्या 1686/1 रकबा 0.3237 हेक्टर में पहुँचने हेतु विपक्षी की कृषि भूमि आराजी संख्या 1686 की पूर्व से पश्चिमी मेर होकर आराजी संख्यां 1686/1 में पहुँचते है उक्त रास्ता 30 फीट चोड़ा रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र भेज तलब किया गया। विपक्षी राजरथान सरकार की ओर से पेरोकार सरकार ने अपनी उपस्थिति दी एवं मौका रिपोर्ट हेतु निवेदन किया।

दिनांक 23.08.2023 को तहसीलदार माण्डलगढ़ को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया। दिनांक 19.10.2023 तहसीलदार माण्डलगढ़ ने उनके पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/43 दिनांक 18.10.2023 द्वारा इस न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत करवाया कि ग्राम बीगोद पटवार हल्का बीगोद के आराजी संख्या 1686/1 रकबा 0.3237 हैक्टेयर प्रार्थी खातेदार मुकेश कुमार पिता हेमाराम मीणा निवासी लुहारीकलां के नाम खातेदारी हक मे रिकॉर्ड दर्ज है। यह है कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि पर जाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड अनुसार रास्ता दर्ज नही है। यह है कि प्रार्थी द्वारा

Mahesh
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

चाहे गये रास्ते के अलावा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। यह है कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि आराजी संख्या 1686/1 व गे0मु0 सड़क के आराजी संख्या 4252/1686 रकबा 0.1619 हैक्टेयर किस्म गेमु रास्ता के मध्य बिलानाम आराजी संख्या 4251/1686 रकबा 0.5816 हैक्टेयर भूमि स्थित है। इस प्रकार सड़क से प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जाने हेतु बीच में बिलानाम भूमि स्थित है। यह है कि प्राथी की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 1686/1 पर जाने हेतु बिलानाम आराजी संख्या 4251/1686 रकबा 0.5816 हैक्टेयर किस्म गेमु मगरी भूमि में से 0.0280 हैक्टेयर भूमि का उपयोग होता है जो रास्ते हेतु प्रस्तावित की जा रही है। यह है कि प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम है। यह है कि प्रस्तावित रास्ता दिये जाने में कोई सार्वजनिक आपत्ति नही है। यह है कि ग्राम बीगोद की डी.एल.सी (1359216 रूपये प्रति हैक्टेयर) अनुसार बिलानाम भूमि की प्रतिभूति राशि 76160/– रूपये (छियोत्तर हजार एक सौ साठ) बनती है।

दिनांक 02.11.2023 को हमने सर्वपक्षीय की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी नक्शा एवं दिनांक 19.10.2023 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की आराजी संख्या 4251/1686 रकबा 0.5816 हैक्टेयर किस्म गेमू मगरी भूमि में से 0.0280 हैक्टेयर भूमि रास्ते के उपयोग हेतु ली जावेगी। रास्ते हेतु 0.0280 हैक्टेयर बिलानाम भूमि का उपयोग होगा जिसकी की वर्तमान डी.एल.सी. दर 1359216 रुपया प्रति हैक्टेयर से 76160 रुपया भूमि का बनता है। जो सम्पूर्ण बिलानाम सरकार की है। प्रथम दृष्ट्या प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं संशोधित अधिसूचना संख्या F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70 (1)(II) () के अनुसरण में प्रार्थी मुकेश कुमार पुत्र हेमाराम जाति मीणा निवासी लुहारीकलां तहसील जहाजपुर द्वारा ग्राम बीगोद पटवार हल्का बीगोद के आराजी संख्या 1686/1 रकबा 0.3237 हेक्टेयर भूमि पर पहुँचने हेतु अप्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार की ग्राम बीगोद पटवार हल्का बीगोद की बिलानाम आराजी संख्या 4251/1686 रकबा 0.5816 हैक्टेयर किस्म गेमु मगरी भूमि मे से (30 फीट चौड़ाई) 0.0280 हैक्टेयर भुमि, जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 1359216 रुपया प्रति हैक्टेयर से दुगना 76160 रुपया प्रार्थीगण द्वारा राजकोष में मद **0029–00–107–01–00** प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक 02.11.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा

Mahes

महेश गगोरिया (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़